1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P.No. 626/2026, dt. 18.03.2026,Asgar Hussain vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–626/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. असगर हुसैन वल्द एकबाल मियां उम्र करीब 81 वर्ष
ग्राम– देवपुर वार्ड नं0–4, थाना–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण................आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री अरविन्द कुमार पाठक ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

18.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त असगर हुसैन की ओर से मेहसी थाना कांड संख्या–362/2025, धारा–318(4), 61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 16.02.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक नैमुद्दीन अंसारी का कथन है कि वर्णित जमीन उसके दादा रमजान मियां के नाम से हासिल है। रामजान मियां के बीन पुत्र इश्हाक मियां, युनुस मियां, तौहीद मियां थे। तीनो पुत्रों के बीच सिडिउल बॅटवारा हुआ। सिडिउल बॅटवारा के तहत उपरोक्त खाता, खेसरा रकवा की जमीन युनुस मियां वो तबहीद मियां को 5–5 धुर जमीन हिस्से में मिला उक्त हासिल बॅटवारा से प्राप्त पॉच धुर जमीन युनुस मियां जो उसके पिता है उसको हिस्सा में मिला उनके मरनोपरान्त उसके दख्ल कब्जे में है। जमाबंदी युनुस मियां के नाम से दर्ज है उक्त जमीन का कुल 10,3/4 धुर ही है जिस जायदाद को असगर हुसैन, आलीम हुसैन को मो0 फारूख पहचानकर्ता, बाबूआलम पहचानकर्ता, शेख निसार गवाह सभी ने मिलकर साजिश वो षड्यंत्र को रचकर उसके उक्त खाता, खेसरा रकवा की जमीन को आवासीय निर्मित मकान को अवैध वो नाजायज रूप से लेख्यधारी खैरून नेशा के नाम से दस्तावेज साजिश के तहत

तैयार कर एक कट्ठा जमीन सड़क किनारे आवासीय रिक्त उक्त जमीन को जॉचकर्ता से उक्त जमीन का जॉच नहीं कराकर दूसरे जमीन का जॉच किया गया जो अपने आप में साजिश वो षड्यंत्र को दर्शाता है। इस प्रकार लेख्यकारी वो लेख्यधारी वो पहचान, गवाह सभी मिल कर साजिश कर वो षड्यंत्र के तहत उसके जमीन को लिख दिया वो लिखने के बाद धमकी दे रहा है कि कि अगर उक्त जमीन मय मकान को कब्जा नहीं करने देगा तो सारे परिवार का अपहरण करा कर जान से मरवा देंगे।

जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 16.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि खतियान रोजा मियां एवं रमजान मियां के नाम से चल रहा है। सूचक रमजान मियां के खाखा से अभियुक्त रोजा मियां के शाखा से है। आपसी बॅटवारा में यह जमीन आवेदक के हिस्से में आयी। सूचक का कभी भी उस पर कब्जा नहीं रहा है। लेकिन सूचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया। आवेदक के द्वारा कोई धोखाधड़ी एवं जाल फरेब नहीं किया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदक के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक की जमीन को षड्यंत्र के तहत जाली फरेबी दस्तावेज तैयार कर बिक्रय कर देने का आरोप है। आवेदक विक्रेता है जो सूचक का भतीजा है। यह मामला दीवानी प्रकृति का है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराओं में अधिकतम सात साल के सजा का प्रावधान है। कांड दैनिकी की कंडिका– 53 के अनुसार आवेदक को कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होना अंकित नहीं है। आवेदक दिनांक 16.02.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की

प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त असगर हुसैन की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/—रु. के बंध—पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित

ह0/—
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 18.03.2026